राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4424/2019

कन्हैया लाल टैलर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शिक्षा सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 27.06.1991 को हुई थी। अपीलार्थी ने स्वेच्छा से अपना स्थानांतरण अजमेर संभाग में चाहा था। इस पर अपीलार्थी को उदयपुर संभाग से अजमेर संभाग में स्थानांतरित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.08.2016 के द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने प्रधानाध्यापक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Matuniya, Sahada, भीलवाड़ा में कार्यग्रहण किया। आलोच्य आदेश दिनांक 20.09.2019 के द्वारा अपीलार्थी के संबंध में रिव्यू–डीपीसी के आधार पर पदोन्नति को निरस्त कर अपीलार्थी को पदावनत किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी का कथन रहा है कि अपीलार्थी को पदावनत किये जाने का आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी को नियमित प्रक्रिया अपनाकर पदोन्नत किया गया था।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को उदयपुर संभाग में वर्ष 1991 में प्रदान की गई नियुक्ति के आधार पर राज्य स्तरीय स्थाई मिश्रित वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 884 (1991–1992) पर दर्ज किया गया तथा उक्त वरिष्ठता के आधार पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.08.2017 के द्वारा प्रधानाध्यापक (माध्यमिक

विद्यालय) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी का स्वैच्छिक स्थानांतरण उदयपुर संभाग से अजमेर संभाग में आदेश दिनांक 15.10.2002 के द्वारा किया गया, उक्त स्थानांतरण पूर्णतया स्वैच्छिक था जो कि उक्त आदेश से भी पूर्णतया स्पष्ट है। अपीलार्थी का नाम वर्णित आदेश में क्रम संख्या 07 पर दर्ज है तथा कार्मिक को उक्त आदेश के द्वारा योगकाल एवं यात्राभत्ता अनुज्ञात नहीं किया गया, जो इस तथ्य को पूर्णतया स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण स्वैच्छिक था। साथ ही अपीलार्थी द्वारा भी इस तथ्य की स्वीकारोक्ति की गई है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण स्वैच्छिक था। नियमानुसार अपीलार्थी कार्मिक उदयपुर संभाग से अजमेर संभाग में स्वैच्छिक स्थानांतरण के आधार पर अजमेर संभाग में वर्ष 2002–03 से वरिष्ठता अर्जित करने का अधिकारी है। अपीलार्थी का नाम, वरिष्ठता सूची में अजमेर संभाग में अर्जित वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठता कमांक 1290 (2002–2003) पर दर्ज किया गया है तथा पूर्व के वरिष्ठता नामांकन 884 (1991–1992) को विलोपित करने के उपरांत रिव्यू डीपीसी की बैठक उपरांत अपीलार्थी कार्मिक का चयन निरस्त किया गया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई कार्यवाही राज्य द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसरण में की गई है, जिस पर अपीलार्थी कार्मिक माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी की स्वेच्छा से उसका स्थानांतरण नवीन मण्डल में हुआ था। इस कारण से अपीलार्थी की वरिष्ठता का पुनः निर्धारण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। The Rajasthan Education Subordinate Service Rules, 1971 के नियम 29(10) को वर्णित किया जाना भी प्रासंगिक होगा। उक्त नियम से स्वतः स्पष्ट है कि वरिष्ठ अध्यापक के स्वैच्छिक स्थानांतरण की स्थिति में नवीन मण्डल/जिले में कार्यग्रहण के अनुसार वरिष्ठता का नवीन निर्धारण किया जावेगा। साथ ही पूर्व अर्जित वरिष्ठता विलापित होगी। हम पाते हैं कि उपरोक्त प्रावधान के आधार पर अपीलार्थी की वरिष्ठता का नवीन मण्डल में निर्धारण पुनः किया जाना चाहिए था एवं पूर्व की वरिष्ठता का विलोपन किया जाना चाहिए था, जिसे अनदेखा करते हुए अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की गई है। रिव्यू–डीपीसी

के अनुसार अपीलार्थी के संबंध में पूर्व में दी गई वरिष्ठता को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये है, जो उपरोक्त प्रावधान के अनुकूल है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी को पदावनत किये जाने के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं पाते हैं। अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)